रजिस्टी सं० डी० एल०-33004/99



स्वयमेव जयते The Gazette of India असाधारण

EXTRAORDINARY भाग II-खण्ड 3-उप-खण्ड (i) PART II-Section 3-Sub-section (i) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

मं. नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 17, 2009/अग्रहायण 26, 1931 715] 7151 No.

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 17, 2009/AGRAHAYANA 26, 1931

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग) अधिसुचना

नई दिल्ली, 17 दिसम्बर, 2009

सा.का.नि. 901(अ),---केन्द्रीय सरकार, पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 53) की धारा 96 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण नियम, 2003 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थातु :--

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण (तीसरा संशोधन) नियम, 2009 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवत्त होंगे ।

2. पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण नियम, 2003 में --

(क) दूसरी अनुसूची के स्तंभ (3) में,-

(i) क्रम सं. 4 के सामने, प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--"व्यष्टि-5.000 रु.

शैक्षणिक-7,000 रु.

वाणिज्यिक-10,000 रु. ";

(ii) क्रम सं. 5 के सामने, प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थातु :--"व्यष्टि-5,000 रु. शैक्षणिक-7,000 रु.

वाणिज्यिक-10,000 रु.

प्रतिवर्ष":

- (iii) क्रम सं. 8 के सामने, प्रविष्टियों के स्थान पर. निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात : "व्यष्टि-3.000 रु.
 - शैक्षणिक-5.000 रु.

वाणिज्यिक-7,000 रु.";

- (ख) चौथी अनुसूची में,-
 - (i) क्रम सं. 2 के सामने स्तंभ (4) में विधि सलाहकार के पद से संबंधित विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी. अर्थात :--

" अवर सचिव":

- (ii) क्रम सं. 4 में प्रविष्टि, लेखा अधिकारी के पद का लोप किया जाएगा ।
- (iii) क्रम सं. 5 को सामने स्तंभ (3) में तकनीकी सहायक के पद से संबंधित, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात :--

"1".

(iv) क्रम सं. 6 के सामने स्तंभ (3) में कंप्युटर सहायक के पद से संबंधित, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात :--

[फा. सं. 1-7/2009-एसडी. V] उपमा चौधरी, संयक्त सचिव टिप्पण : —मूल नियम, भारत के राजपत्र में सं. सा.का.नि. 738(अ), तारीख 12 सितम्बर, 2003 द्वारा प्रकाशित हुए थे और तत्पश्चात् सा.का.नि. 843(अ), तारीख 30 दिसम्बर, 2004, सा.का.नि. 731(अ), तारीख 14 अक्तूबर, 2008, सा.का.नि. 319(अ), तारीख 11 मई, 2009 और सा.का.नि. 783(अ), तारीख 27 अक्तूबर, 2009 द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture and Co-operation) NOTIFICATION

New Delhi, the 17th December, 2009

G.S.R. 901(E).— In exercise of the powers conferred by Section 96 of the Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Act, 2001 (53 of 2001), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Rules, 2003, namely :—

1. (1) These rules may be called the Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights (Third Amendment) Rules, 2009.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Rules, 2003,—

- (a) in the Second Schedule, in column (3),---
 - (i) against serial number 4, for the entries, the following entries shall be substituted, namely,—

"Individual — Rs. 5,000 Educational — Rs. 7,000 Commercial — Rs. 10,000";

(ii) against serial number 5, for the entries, the following entries shall be substituted, namely,—

"Individual - Rs. 5,000

- Educational Rs. 7,000 Commercial — Rs. 10,000 per years";
- (iii) against serial number 8, for entries, the following entries shall be substituted, namely,---

"Individual — Rs. 3,000 Educational — Rs. 5,000 Commercial — Rs. 7,000":

- (b) in the Fourth Schedule,---
 - (i) against serial number 2, relating to the post of Legal Adviser, in column (4), for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely.—

"Under Secretary";

- (ii) the entry at serial number 4, relating to the post of Accounts Officer shall be omitted;
- (iii) against serial number 5, relating to the post of Technical Assistant, in column (3), for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely,—

"1";

 (iv) against serial number 6, relating to the post of Computer Assistant in column (3), for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely,—
"6".

[F. No. 1-7/2009-SD. V]

UPMA CHAWDHRY, Jt. Secy.

Note :—The principal rules were published in the Gazette of India, vide number G.S.R. 738(E), dated the 12th September, 2003 and subsequently amended vide G.S.R. 843(E), dated the 30th December, 2004, G.S.R. 731(E), dated the 14th October, 2008, G.S.R. 319(E), dated the 11th May, 2009 and G.S.R. 783(E), dated the 27th October, 2009.